



भारत सरकार
विद्युत
मंत्रालय



आरईसी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.



आरडीएसएस

निधि संवितरण संबंधित दिशानिर्देश

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)
के अंतर्गत
निधि संवितरण संबंधित
दिशानिर्देश

आरईसी/पीएमडी/आरडीएसएस/निधि संवितरण संबंधित दिशानिर्देश/2023-24/651 26 जून, 2023

संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के डिस्कॉम के सीएमडी/एमडी
(आरडीएसएस के तहत परियोजना कार्यान्वयन हेतु एजेंसियां)

विषय: आरडीएसएस के तहत स्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए निधि संवितरण संबंधित दिशानिर्देश

महोदय/महोदया,

यह आरडीएसएस के तहत आपके डिस्कॉम को स्वीकृत परियोजना और मंत्रालय के दिनांक 06.06.2023 के पत्र के संदर्भ में है, जिसमें आरडीएसएस के तहत वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए प्रत्येक चरण के संबंध में दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया और शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में, कृपया नोडल एजेंसी द्वारा निधि जारी करने की सुचारू प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए आरडीएसएस के तहत स्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए पालन किए जाने वाले निधि संवितरण संबंधित दिशानिर्देशों को **अनुलग्नक-1** में देखें। दिशानिर्देशों में पीएमए को धन जारी करने की व्यवस्था के साथ-साथ नोडल एजेंसी शुल्क भी शामिल हैं। स्मार्ट मीटरिंग और आधुनिकीकरण कार्यों के संबंध में दावे प्रस्तुत करने के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

तदनुसार अनुरोध किया जाता है कि अब से आरडीएसएस के तहत स्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यों के संबंध में सभी दावों को इन दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इसे विद्युत मंत्रालय की मंजूरी से जारी किया जाता है।

सादर,



(राहुल द्विवेदी)

(कार्यपालक निदेशक)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

जानकारी हेतु प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली

एफ. सं.14/03/2022-यूआरएंडएसआई-II (ई-262664)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम भक्ति भवन, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 6 जून, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आरईसी सीमित
प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर-29
गुरूग्राम, हरियाणा-122001

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पीएफसी लिमिटेड
ऊर्जानिधि 1, बाराखंभा लेन,
नई दिल्ली-110001

विषय: आरडीएसएस के तहत निधि संवितरण संबंधी दिशानिर्देश।

महोदय,

यह आरईसी के पत्र दिनांक 26.04.2023 का संदर्भ है, जिसके तहत विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 06.04.2023 के जवाब में अद्यतन निधि संवितरण संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

2. आरईसी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आरडीएसएस के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है और आरडीएसएस के तहत निधि वितरण के दावे डिस्कॉम द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में नोडल एजेंसियों को प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. इस मंत्रालय को नोडल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निधि रिलीज की मांग के संबंध में, प्रत्येक किश्त के लिए वितरण बुनियादी ढांचे के कार्यों से संबंधित दावों के साथ सहायक दस्तावेजों के साथ नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण, अब तक परिकल्पित हैं, इस मामले में आगे की आवश्यकता के लिए इसे इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

4. आरईसी और पीएफसी, सभी पहलुओं में योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां होने के नाते, योजना के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आवश्यक विवरण जोड़ सकते हैं।

इसे संयुक्त सचिव (वितरण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सादर,

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(बिमलेश पवार)

भारत सरकार के उप सचिव

दूरभाष: 011-23705957

ईमेल: bimlesh.pawar@nic.in

ईमेल: ursi2desk-mop@gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	योजना का अवलोकन	2-7
2	वितरण अवसंरचना कार्य के लिए निधि जारी करने के लिए तंत्र - हानि में कमी	8-14
3	परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए निधि जारी करने के लिए तंत्र	15-16
4	वेब-पोर्टल	17
5	नोडल एजेंसी के लिए तंत्र	18
6	परिशिष्ट-I: डिस्कॉम/यूटिलिटी से निधि अनुरोध पत्र	19-22
7	परिशिष्ट-II: हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकार पत्र	23
8	परिशिष्ट -III: जीएफआर 12ए/सी - डिस्कॉम/यूटिलिटी से उपयोगिता प्रमाणपत्र	24-27
9	परिशिष्ट -IV: चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से लेखापरीक्षा रिपोर्ट	28-31
10	परिशिष्ट -V: कॉन्ट्रैक्टर/पीएमए को किए गए भुगतान का दावा प्रपत्र विवरण	32

**संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)
के अंतर्गत
जीबीएस निधि संवितरण संबंधी दिशानिर्देश**

योजना का अवलोकन:

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 20.07.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और केंद्र सरकार से 97,631 करोड़ रुपये के अनुमानित जीबीएस के साथ सुधार-आधारित और परिणाम संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया। इस योजना के लिए आरईसी और पीएफसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर सभी वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बिजली विभाग इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना डिस्कॉम के लिए वैकल्पिक है और इसे निजी डिस्कॉम को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाना है। यह योजना राज्यों को भारत सरकार की मंजूरी के साथ राज्य की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित सुधार उपायों को अपनाने और बुनियादी ढांचे के कार्यों की योजना बनाने की अनुमति देती है।

डीपीआर, कार्य योजना, बोली प्रक्रिया, कार्यान्वयन की निगरानी, परिणाम मूल्यांकन और संबंधित कार्यों की तैयारी सहित परियोजना प्रबंधन कार्यों के लिए एक या अधिक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त की जाएगी।

इस योजना के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल मंजूरी से समापन तक सभी प्रमुख मापदंडों को शामिल करेगा, जिसमें आधारभूत डेटा, वास्तविक और वित्तीय प्रगति, गुणवत्ता निगरानी, परिणाम और अनुमोदित परिणाम मूल्यांकन ढांचे के तहत मूल्यांकन के लिए उपलब्धियां शामिल हैं, जिसमें एक मूल्यांकन मैट्रिक्स के तहत कुछ पूर्व-योग्यता मानदंड और ट्रेजेक्टरी शामिल हैं। योजना के तहत निष्पादित कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे।

इस योजना के उद्देश्य:

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- क) वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना,
- ख) 2024-25 तक एटी एंड सी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना, और
- ग) 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना

प्रत्येक वर्ष एटीएंडसी हानियों/एसीएस-एआरआर राजस्व अंतर में कमी के लिए राज्य-वार लक्ष्य उनके एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर के वर्तमान स्तर पर निर्भर करेंगे।

योजना के प्रमुख घटक: of the Scheme:

भाग क - मीटरिंग और वितरण अवसंरचना कार्य

घटक- I: मीटरिंग

घटक-II: वितरण अवसंरचना कार्य

घटक-III: परियोजना प्रबंधन

भाग ख - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एवं अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियाँ

कार्यान्वयन अवधि: period:

योजना की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2026 होगी, इसके बाद निष्पादित कार्य केंद्र सरकार अनुदान जारी करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

फंडिंग पैटर्न: term:

योजना के तहत फंडिंग पैटर्न इस प्रकार है:

क्र.सं.	मद का विवरण	जीबीएस % (अधिकतम)
क-1	मौजूदा बुनियादी अवसंरचना के एकीकरण सहित उपभोक्ता, डीटी और फीडर स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग समाधान	15% / 22.5%, जैसा भी मामला हो (उपभोक्ता मीटरिंग के लिए क्रमशः 900 रुपये या 1350 रुपये प्रति मीटर तक सीमित) #
क-2	सभी राज्यों के लिए बाधा मुक्त मानकीकृत बिलिंग मॉड्यूल, डेटा प्रबंधन, डेटा विश्लेषण और सहयोग सहित अन्य लागत का कार्यान्वयन आदि	100%
क-3 से क-6	स्काडा, डीएमएस, एबी केबल, फीडर पृथक्करण आदि सहित वितरण अवसंरचना कार्य	"अधिसूचित विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा" के लिए अनुमोदित परियोजना लागत का 60% या "अधिसूचित विशेष श्रेणी" के लिए 90% राज्य" जैसा भी मामला हो
ख1-ख4	भाग-ख	100%

पहले चरण के मिशन यानी दिसंबर 2023 की लक्षित समयसीमा के भीतर स्थापित प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए इसके अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.3 में बताया गया है।

भाग क: मीटरिंग एवं वितरण अवसंरचना कार्य

घटक- I: मौजूदा बुनियादी अवसंरचना के एकीकरण सहित उपभोक्ता, डीटी और फीडर स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग समाधानों को जीबीएस के माध्यम से निम्नानुसार वित्तपोषित किया जाएगा:

- "अधिसूचित विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा" में डिस्कॉम के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर 900 रुपये या पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15%, जो भी कम हो, की एक निश्चित राशि तय की गई है।
- "अधिसूचित विशेष श्रेणी राज्यों" में डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर 1350 रुपये की एक निश्चित राशि या पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 22.5%, जो भी कम हो, तय की गई

है।

दिसंबर 2023 की लक्षित समयसीमा के भीतर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए, योजना निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान करती है:

- "अधिसूचित विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा" डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर 450 रुपये की एक निश्चित राशि या पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 7.5%, जो भी कम हो;
- "अधिसूचित विशेष श्रेणी राज्यों" में डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर 675 रुपये या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 11.25% की एक निश्चित राशि, पूरी परियोजना के लिए निकाली गई, जो भी कम हो।

घटक- II: स्काडा, डीएमएस, एबी केबल, फीडर पृथक्करण आदि सहित वितरण अवसंरचना कार्य, जीबीएस के माध्यम से वित्तपोषित की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी:

- "विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा" डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 60% तक और
- "विशेष श्रेणी वाले राज्यों" में डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 90% तक

भाग-ख: प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम एवं सहायक गतिविधियाँ:

- अनुमोदित परियोजना लागत का 100% जीबीएस के माध्यम से वित्तपोषण के लिए पात्र होगा

टीएसए के माध्यम से आरडीएसएस के तहत भारत सरकार के धन के प्रवाह के लिए तंत्र:

एएस एंड एफए, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और बजट प्रभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप; 01.04.2022 से आरडीएसएस से संबंधित भुगतान सहित सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं आरबीआई द्वारा शासित ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) तंत्र के माध्यम से जारी की जाएंगी (कोई अन्य बैंकिंग व्यवस्था की अनुमति नहीं है)। तदनुसार, टीएसए के माध्यम से आरडीएसएस के तहत निधि जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यापक बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:

1. यह योजना भारत सरकार का कार्यक्रम है, नोडल एजेंसियों से डिस्कॉम को पीएफएमएस के माध्यम से जारी किया जाएगा और डिस्कॉम योजना के तहत निधि के प्रवाह के लिए पीएफएमएस का उपयोग करेंगे।
2. योजना के तहत भाग लेने वाली प्रत्येक डिस्कॉम पीएफएमएस के तहत विधिवत मैप किए गए टीएसए को खोलेगी। भारत सरकार की अनुदान निधि की प्राप्ति के लिए नामित केंद्रीय नोडल एजेंसी या पीआईए यानी उप एजेंसियों के लिए किसी अन्य कॉर्पोरेट बैंकिंग व्यवस्था की अनुमति नहीं है।
3. पीआईए सभी विक्रेताओं की पीएफएमएस में मैपिंग सुनिश्चित करेगी। भुगतान केवल प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर लागू करके पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।
4. प्रत्येक पीआईए द्वारा काउंटर-पार्ट निधि की प्राप्ति के साथ-साथ टीडीएस, जीएसटी आदि जैसे वैधानिक देय के प्रेषण के लिए एक अलग से बैंक खाता रखा जाएगा।
5. टीडीएस, आयकर, जीएसटी आदि के भुगतान के लिए, उप-एजेंसियों (डिस्कॉम) को ऊपर उल्लिखित अलग से बैंक खाते का उपयोग करना आवश्यक है। वे ऐसे लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक टीएसए खाते से "बिलकुल समय पर" धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं। हालाँकि, किसी भी स्थिति में इस प्रावधान के तहत हस्तांतरित धन को दो सप्ताह की अवधि से अधिक वाणिज्यिक बैंक में जमा नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, डिस्कॉम को करों के भुगतान के लिए टीएसए खाते से धनराशि स्थानांतरित करने के लिए पीएफएमएस में एक विक्रेता के रूप में अलग से बैंक खाते (समकक्ष निधि के लिए) को मैप करना आवश्यक है।
6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, करों के भुगतान के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए टीएसए से अलग से बैंक खाते में धनराशि के किसी भी हस्तांतरण के लिए एमओपी/नोडल एजेंसी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
7. नोडल एजेंसियां/डिस्कॉम अपने पास रखे अव्ययित अनुदान की स्थिति तिमाही आधार पर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, टीएसए के तहत जारी धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए समय पर करना होगा जिसके लिए वे हैं और **31 मार्च तक उपलब्ध अप्रयुक्त निधि को भारत की समेकित निधि में अभ्यर्पित(सरेंडर) कर दिया जाएगा।**
9. डिस्कॉम प्रत्येक परियोजना के लिए नोडल एजेंसी से धन प्राप्त करने और ठेकेदारों को जारी करने के लिए खातों की बुक्स बनाए रखेंगे।
10. नई लक्ष्यों और शर्तों की उपलब्धि पर, डिस्कॉम सहायक दस्तावेजों / प्रमाण पत्र / उपक्रमों के साथ आनुपातिक किस्त के लिए धन जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत करेगा। इसके लिए प्रारूप नोडल एजेंसियों द्वारा तैयार और प्रसारित किया जाएगा।

चरण I: हानि कटौती के लिए डीपीआर के अनुमोदन के बाद, डिस्कॉम शर्तों के अनुपालन और निम्नानुसार विस्तृत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन परियोजना के हानि कटौती भाग के लिए अनुदान का 10% (अग्रिम) जारी करने के लिए पात्र हो जाएगा:

भाग/किस्त	शर्तें	डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज/अनुपालन
(क) परियोजना की मंजूरी पर हानि न्यूनीकरण भाग की परियोजना लागत के अनुदान घटक का 5%;	डिस्कॉम द्वारा निधि जारी करने का अनुरोध	1. डिस्कॉम से निर्धारित प्रारूप में धनराशि जारी करने हेतु अनुरोध पत्र।
	स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन	2. निगरानी समिति की बैठक के कार्यवृत्त का उद्धरण जिसमें मंजूरी प्रदान की गई है। 3. प्रत्येक पक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी कार्यान्वयन समझौते की प्रति। 4. ऊर्जा विभाग के प्रमुख/राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी स्वीकृति पत्र की प्रति। अधिकृत प्रतिनिधि के मामले में प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 5. कार्य योजना और डीपीआर के लिए राज्य डीआरसी की सिफारिश। 6. पीडीएफ में अनुमोदित कार्य योजना और डीपीआर की हस्ताक्षरित और स्वीकृत प्रति और सुनिश्चित करें कि इसे वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 7. निर्धारित प्रारूप में संगठन के प्रमुख/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत अधिकृत नोडल एजेंसी को दावा संबंधी दस्तावेज जमा करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं का प्राधिकरण।
(ख) कार्यों के	डिस्कॉम द्वारा निधि जारी करने का अनुरोध	1. डिस्कॉम से निर्धारित प्रारूप में धनराशि जारी करने हेतु अनुरोध पत्र।
	वेब पोर्टल पर अवॉर्ड विवरण का अद्यतनीकरण	2. डिस्कॉम द्वारा वेब पोर्टल पर अवॉर्ड और अनुबंध समझौते के विवरण को अद्यतन करने का प्रमाणन। हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए एलओए की प्रतियाँ वेब पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

अवॉर्ड पर हानि कटौती के भाग की परियोजना लागत के अनुदान घटक का 5%	उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित दावा संबंधी दस्तावेज	3. अवॉर्ड का विवरण जिसमें जिलेवार अवॉर्ड लागत विवरण, पैकेजों की कुल संख्या, दिए गए पैकेज, दिए गए कार्यों की संबंधित स्वीकृत लागत, अवॉर्ड की तारीख, निष्पादन एजेंसी का विवरण, कार्यों की शुरुआत और समापन की अपेक्षित/वास्तविक तिथि आदि शामिल हैं। 4. अभी तक अवॉर्ड किए जाने वाले शेष पैकेजों की स्थिति। 5. अवॉर्ड के बाद की गतिविधियों जैसे अनुबंध समझौता, कार्यान्वयन योजना आदि का विवरण। 6. पहले से ही जारी और उपयोग की गई निधि का जिलेवार विवरण।
---	--	---

भाग/किस्त	शर्तें	डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज़/अनुपालन
		7. सहायक दस्तावेजों के साथ समय-समय पर विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अन्य शर्तों का अनुपालन, जैसे कि डिस्कॉम ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आरईएफ मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुका है। 8. सहायक दस्तावेजों के साथ निगरानी समिति द्वारा विशेष रूप से सलाह दी गई शर्तों (यदि कोई हो) का अनुपालन। 9. सहायक दस्तावेजों के साथ समय-समय पर विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अन्य शर्तों (यदि कोई हो) का अनुपालन। 10. पीएमए की नियुक्ति की स्थिति। 11. दिशानिर्देशों के पैरा 5.8 और 5.9 के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट / यूटिलिजेशन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

* टिप्पणी: संशोधित परियोजना लागत: कार्यों के अवॉर्ड होने के बाद, परियोजना लागत स्वीकृत लागत या अवॉर्ड लागत, जो भी कम हो, होगी। तदनुसार, पहले 5% रिलीज के दौरान किए गए अतिरिक्त भुगतान (यदि अवॉर्ड लागत से कम है तो लागू) को हानि न्यूनीकरण कार्यों की परियोजना लागत के अनुदान घटक के 20% की अगली किश्त जारी करने के समय समायोजित किया जाएगा। साथ ही, हानि कटौती कार्यों के लिए अवॉर्ड संबंधी गतिविधि हानि कटौती कार्यों की परियोजना लागत के अनुदान घटक का 20% जारी करने से पहले पूरी की जानी चाहिए और संस्थान से इसके संबंध में एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

चरण II: डिस्कॉम का मूल्यांकन पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत कार्य योजना के परिणाम मूल्यांकन ढांचे के अनुसार किया जाएगा और यदि यह पूर्व-योग्यता मानदंडों और न्यूनतम स्कोर 60% अंक पर खरा उतरता है, फिर, शर्तों के अनुपालन और निम्नानुसार विस्तृत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अधीन मांग उठाई जा सकती है:

भाग/किस्त	शर्तें	डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज़/अनुपालन
(क) हानि न्यूनीकरण कार्यों की परियोजना लागत के अनुदान घटक का 20%	डिस्कॉम द्वारा निधि जारी करने का अनुरोध	1. डिस्कॉम से निर्धारित प्रारूप में धनराशि जारी करने हेतु अनुरोध पत्र।
	पिछले वर्ष की कार्य योजना के अनुसार पूर्व-योग्य मानदंड का अनुपालन	2. निगरानी समिति के कार्यवृत्त का उद्धरण जिसमें पीक्यू ने अनुमोदन किया।
	पिछले वर्ष की कार्य योजना के अनुसार परिणाम मूल्यांकन ढांचे (आरईएफ) के अनुसार क्वालिफायिंग स्कोर (≥ 60)	3. निगरानी समिति के कार्यवृत्त का उद्धरण जिसमें आरईएफ ने मंजूरी दे दी।
	लागू काउंटर-पार्ट निधि की 100% की मंजूरी	4. बैंक/एफआई से समकक्ष ऋण के स्वीकृति पत्र की प्रति/स्वयं के वित्त पोषण के लिए बोर्ड की मंजूरी/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होने की स्थिति में राज्य सरकार की बजट घोषणा की प्रति।
	चरण-I क्षेत्रों में शामिल प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का अवॉर्ड	5. चरण-I क्षेत्रों में शामिल प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के एलओए की प्रतियां।

भाग/किस्त	शर्तें	डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज़/अनुपालन
	यूटिलिजेशन प्रमाण पत्र सहित दावा संबंधी दस्तावेज	6. अवॉर्ड का विवरण जिसमें जिलेवार अवॉर्ड लागत का विवरण, पैकेजों की कुल संख्या, अवॉर्ड किए गए पैकेज, दिए गए कार्यों की संबंधित स्वीकृत लागत, अवॉर्ड की तिथि, निष्पादन एजेंसी का विवरण, कार्यों की शुरुआत और समापन की अपेक्षित/वास्तविक तिथि आदि शामिल हैं। 7. अभी दिए जाने वाले शेष पैकेजों की स्थिति। 8. अवॉर्ड के बाद की गतिविधियों जैसे अनुबंध समझौता, कार्यान्वयन योजना आदि का विवरण। 9. जिलेवार वित्तीय प्रगति (जीबीएस और काउंटर-पार्ट फंडिंग) - जारी निधि, उपयोग और जमीनी स्तर पर वास्तविक व्यय 10. फॉर्म जीएफआर 12-ए (डिस्कॉम के लिए)/12-सी (बिजली विभागों के लिए) में यूटिलिटी प्रमाण पत्र, डिस्कॉम के प्रमुख और वित्त प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, वास्तविक (अवॉर्ड के अनुसार बीओक्यू सहित) और वित्तीय (अनुदान और समकक्ष वित्तपोषण) प्रगति रिपोर्ट के संबंध में अनुलग्नकों के साथ। 11. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित परियोजना पर प्राप्तियों और व्यय के संबंध में प्रमाण पत्र। 12. दावा प्रपत्र में कॉन्ट्रैक्टर को किए गए भुगतान/कर भुगतान (केंद्रीय और राज्य जीएसटी का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए) का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। 13. पीएमए अनुशंसा रिपोर्ट की प्रतिलिपि, पीएमए के लेटर हेड पर रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर। 14. वेब पोर्टल पर वास्तविक प्रगति के अद्यतनीकरण का प्रमाणन और उसका सार प्रस्तुत करना।

अनुवाद किया
जा रहा है।

